छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटलनगर–492002

19 DEC 2023

क्रमांक 6621/284/भा.स./2023/सत्रह–1 नवा रायपुर अटलनगर दिनांक

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
जिला . . . .
छत्तीसगढ़ ।

विषय :– कोविड–19 संक्रमण के सर्विलेंस, बचाव, रोकथाम एवं उपचार हेतु आवश्यक तैयारियों संबंध में ।

----0----

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री सुधांश पंत, सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त अर्धशासकीय पत्र क्र. – DO No- Z-28015/182/ 2021-DMCell, दिनांक– 23 दिसंबर 2023 की छायाप्रति संलग्न है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड–19 संक्रमण दर में में निरंतर न्यून–दर को दृष्टिगत रखते हुए Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) को वापस लेने का निर्णय लिया था । भारत देश में भी केंद्र एवं राज्यों के संयुक्त प्रयास से कोविड –19 संक्रमण को न्यूनतम स्तर पर रखने में सफल रहा है । यद्यपि कोविड–19 का संक्रमण नियंत्रण में है, परन्तु कोविड –19 का विषाणु के संक्रमण के प्रसार पर सतत निगरानी रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है ।

2/ वर्तमान में केरल सहित देश के कुछ राज्यों में कोविड –19 संक्रमण के प्रकरणों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, यद्यपि कोविड–19 विषाणु (SARS-CoV-2) के किसी नये वैरिएंट की पहचान नहीं हुई है, किन्तु जिले स्तर पर एहतियात के तौर पर निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है–

1. आगामी नव–वर्ष एवं त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए कोविड संक्रमण के प्रसार की रोकने हेतु रेस्पिरेटरी हाइजिन और कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जावे ।

2. कोविड –19 सर्वलेंस हेतु भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देश अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।

   (https://www-mohfw-gov-in/pdf/OperationalGuidelinesforRevisedSurveillanceStrategyincontextofCOVID-19-pdf) (संलग्न)

//2//

आदत बदली, 2 गज की दूरी अपनाएं, मास्क से हाथ धोएं

3. जिले में सभी शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों (जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों) में आने वाले Influenza Like Illness (ILI) एवं Severe Acute Respiratory Illness (SARI) के प्रकरणों की सतत निगरानी करते हुए IHIP portal में दैनिक आधार नियमित रूप से रिपोर्टिंग किया जावे।
4. प्रत्येक जिले में कोविड -19 की पर्याप्त संख्या में जाँच किया जावे (कम से कम 100 Test/Day) । जहां तक संभव हो जाँच RT-PCR विधि से ही किया जावे ।
5. RT-PCR जाँच में धनात्मक आने वाले प्रत्येक सैंपल को Genomic Sequencing जाँच हेतु AIIMS Raipur भेजा जावे, जिससे नये वैरिएंट की पहचान की जा सके ।
6. जिले के प्रत्येक शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में कोविड-19 की उपकरणों की क्रियाशीलता, दवाओं की उपलब्धता एवं अन्य तैयारियों के आँकलन के लिए Mock-drill किया जावे ।
7. समुदाय में कोविड-19 से बचाव हेतु कोविड अनुरूप व्यवहार (Covid Appropriate Behaviour) के संबंध में जन-जागरूकता एवं प्रचार प्रसार किया जावे ।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

(रेणु जी. पिल्ले)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक 6622/284/भा.स./2023/सत्रह-1 — नवा रायपुर अटलनगर, दिनांक 19 DEC 2023

प्रतिलिपि :-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव, कार्यालय, छत्तीसगढ़, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटलनगर,
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटलनगर,
3. संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ, छत्तीसगढ़, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटलनगर,
4. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटलनगर,
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटलनगर,

//3//

Scanned with OKEN Scanner